<u>—:: नोटिस / विज्ञप्ति ::—</u>

<u>श्री तिलकराम, वर्कन्दाज पुत्र श्री वेदप्रकाश ग्राम व पोस्ट—लावड, जिला—मेरठ।</u>

आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 12.06.2012 से बिना किसी सूचना के निरन्तर अनुपस्थित चल रहे है। आपको इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 5002 / नखमु / दिनांक 12.12.2012, 3266 / नखमु / दिनांक 15.09.2014, 1353 / नखमु / दिनांक 10.05.2016 एवं 3055 / नखमु / दिनांक 18.11.2016 के द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप अपनी ड्यूटी पर अभी तक भी उपस्थित नहीं हुए है। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी आपको अनेक पत्रों द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः आपको समाचार पत्रों के माध्यम से अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि आप तत्काल इस कार्यालय में साक्ष्यों सहित योगदान करे। यदि समाचार पत्र में विज्ञप्ति निर्गत होने के **<u>15 दिन के अन्दर</u>** आप साक्ष्य सहित अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते है तो कर्मचारी आचरण नियमावली—1956 के तहत आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। इसके उपरान्त आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड़ मुजफ्फरनगर।